न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सैयद शीराज अली जैदी (आर0ए0एस0)
वाद सं0 : 161 सन 2019
अनवान :–

1. होशियारसिह पुत्र रूलीराम जाति मेधवाल निवासी सोनडी तहसील नोहर।

बनाम

1. बादो देवी पत्नि लालचन्द जाति मेधवाल निवासी सोनडी तहसील नोहर हाल निवासी शेरडा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 ।

उपस्थित : श्री मदन मोहन जोशी अधिवक्ता वादी

निर्णय दिनांक :– 20.02.2019

वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद पेश किया जाकर निवेदन किया कि रोही मौजा सोनडी के खाता संख्या 499/482 के खसरा न0 393/8.8780हैक , खसरा न0 826 की 3.1990हैक खसरा न0 828 की 0.6450हैक , खसरा न0 829 की 3.0100हैक खसरा न0 887 की 0.2660हैक खसरा न0 888 की 1.6820हैक कुल 17.65800हैक भूमि जिसमें प्रतिवादी संख्या 1 का 226 हिस्सा एवं रोही मोजा सोनडी के खाता संख्या 59/314 की खसरा न0 382 की 13.2410हैक भूमि जिसमें प्रतिवादीया संख्या 1 का 190 हिस्सा की खातेदार काश्तकार है।

प्रतिवादी संख्या 1 वादी की सगी बुआ है तथा वाद भूमि प्रतिवादीया के नाम से दर्ज है वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के मध्य परिवारिक समझौता होने पर प्रतिवादी संख्या 1 ने अपने हक हिस्साा की भूमि का त्याग वादी के पक्ष में किया हुआ है जिसे वाद पिछले काफी वर्षो से काश्त करता आ रहा है किन्तु राजस्व रिकार्ड में वाद भूमि अब भी प्रतिवादीया के नाम से दर्ज है जिससे वादी के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है वादी अपने हक हिस्सा एवं परिवारिक समझौता में प्राप्त भूमि को अपने नाम से दर्ज करवा पाने का अधिकारी है वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण संख्या 1 को तलब किया गया तत्पश्चात प्रतिवादी संख्या 1 स्वय न्यायालय में उपस्थित होकर वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ने निवेदन किया की वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में उसके नाम से है किन्तु काफी समय पहले वादी एवं प्रतिवादीया के मध्य बाहमी बटवारा होने पर उसने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी जो उसका भतीजा है के पक्ष में किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उसके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाल दावा भी पेश किया जा चुका है जो शामिल मिसल किया गया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया राजस्व रिकार्ड में वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है वादी एंव प्रतिवादीया संख्या 1 एक ही परिवार के सदस्य है वादी का कथन है कि

2070 ता 2073 सलग्न वाद है। जिसमें यह रोशन है।

प्रतिवादीया जो वादी की बुआ है ने परिवारिक समझौता होने पर अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी के पक्ष में किया हुआ है वादी के कथनों को प्रतिवादीया संख्या 1 ने स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में उसके नाम से है किन्तु काफी समय पहले वादी एवं प्रतिवादीया के मध्य बाहमी बटवारा होने पर उसने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी जो उसका भतीजा है के पक्ष में किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उसके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाल दावा पेश किया जा चुका है

इसप्रकार वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ने स्वीकार करने के कारण काबिल डिक्री है किन्तु प्रतिवादी संख्या 1 ने अपने हकों का त्याग किया गया है इसलिये राज्यहकों की सुरक्षा हेतु स्टाम्प डयूटी कायम की जानी उचित है ।

अतः वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों एवं आपसी सहमति के आधार पर वादी का वाद डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा सोनडी के खाता संख्या 59/314 के खसरा न0 382 की 13.2410हैक भूमि मे प्रतिवादीया सख्या 1 के नाम दर्ज 190 हिस्सा व रोही मौजा सोनडी के खाता संख्या 499/482 के खसरा न0 393 की 8.8780हैक व खसरा न0 826 की 3.1990हैक खसरा न0 828 की 0.6450हैक ,खसरा न0 829 की 3.0100हैक खसरा न0 887 की 0.2660हैक खसरा न0 888 की 1.6820हैक कुल 17.6800हैक भूमि में से प्रतिवादीया संख्या 1 के नाम से दर्ज 226 हिस्सा भूमि का वादी अकेला खातेदार काश्तकार है प्रतिवादीया का नाम कलमजन किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 20.02.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Web Copy - Not Official
सत्यमेव जयते